



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-15102022-239686
CG-DL-E-15102022-239686

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 517]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर 14, 2022/आश्विन 22, 1944

No. 517]

NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 14, 2022/ASVINA 22, 1944

भारतीय उपचर्या परिषद्

प्रत्याहार आदेश

नई दिल्ली, 14 अक्टूबर, 2022

फा.सं. 18-18/9689-आईएनसी:- भारतीय उपचर्या परिषद् अधिनियम, 1947 (1947 का XLVIII) की धारा 14 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय उपचर्या परिषद् एतद्वारा निम्नलिखित आदेश जारी करती है:-

जबकि, **माँ कैला देवी संस्थान, शिवपुरी लिंक रोड, ग्वालियर लश्कर-474001, मध्य प्रदेश**, मध्य प्रदेश राज्य सरकार और मध्य प्रदेश पंजीकरण परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त है।

वहीं, प्रधान सचिव (स्वास्थ्य एंड एफडब्ल्यू, स्वास्थ्य), मध्य प्रदेश सरकार, कमरा नं. 241, मंत्रालय (वल्लभ भवन) एरिया हिल्स, भोपाल – 462004, मध्य प्रदेश को भारतीय उपचर्या परिषद् अधिनियम, 1947 की धारा 14 के तहत मान्यता वापस लेने के लिए एक नोटिस सं. 18-18/9689-आईएनसी दिनांक 08/03/2022 जारी किया गया था। नोटिस दिनांक 08/03/2022 की एक प्रति **माँ कैला देवी संस्थान, शिवपुरी लिंक रोड, ग्वालियर लश्कर-474001, मध्य प्रदेश**, को भी भेजी गई थी। जारी नोटिस में राज्य सरकार से नर्सिंग संस्थान की उपयुक्तता के संबंध में परिषद् को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया था।

और जबकि, भारतीय उपचर्या परिषद् ने पाया कि नकोडा शिक्षा समिति एक ही परिसर में दो संस्थान चला रही है। इसलिए इसे बंद माना गया।

जबकि, भारतीय उपचर्या परिषद् के मानदंडों के अनुसार दो (02) संस्थान एक ही परिसर में कार्य नहीं कर सकते हैं।

अतः, इसलिए, अधिनियम 1947 की धारा 14 (3) बी के संदर्भ में जीएनएम और बी.एससी (एन) पाठ्यक्रम आयोजित करने के लिए **माँ कैला देवी संस्थान** की मान्यता शैक्षणिक सत्र **2018-19** से वापस ले ली जाती है। यह घोषित किया जाता है कि **2018-19** से

मां कैला देवी संस्थान से कोई भी मान्यताप्राप्त करने वाला हर एक व्यक्ति मध्य प्रदेश राज्य सरकार के आदेश के अधीन केवल मध्य प्रदेश राज्य में पंजीकृत होने का हकदार होगा।

ले. कर्नल(डॉ.) सर्वजीत कौर, सचिव

[विज्ञापन III/4/असा./339/2022-23]

INDIAN NURSING COUNCIL

WITHDRAWAL ORDER

New Delhi, the 14th October, 2022

F. No. 18-18/9689-INC.—In exercise of the powers conferred under Section 14 of Indian Nursing Council Act, 1947 (XLVIII of 1947), the Indian Nursing Council

hereby issues the following order:—

Whereas, **Maa Kaila Devi Institute** situated at **Shivpuri Link Road, Gwalior Lashkar - 474001, Madhya Pradesh** was recognized by State Government of Madhya Pradesh and Madhya Pradesh Nurses Registration Council.

Whereas, a notice no. 18-18/9689-INC dated 08/03/2022 for withdrawal of Recognition under section 14 of Indian Nursing Council Act, 1947 addressed to Principal Secretary (Health &FW), Government of Madhya Pradesh, Room No. 241, Mantralaya (Vallabh Bhawan) Area Hills, Bhopal – 462004, Madhya Pradesh was issued. Copy of the notice dated 08/03/2022 was also enclosed to **Maa Kaila Devi Institute at Shivpuri Link Road, Gwalior Lashkar - 474001, Madhya Pradesh**. In the notice issued, the State Government was requested to submit their recommendations to the Council as respects Suitability of the nursing institution.

And whereas, Indian Nursing Council found that Nakoda Shiksha Samiti running two institutions in the same campus. Hence, it was considered as closed.

And whereas, as per Indian Nursing Council norms two (02) institutions cannot function in the same campus.

Hence, therefore, the recognition of **Maa Kaila Devi Institute** for conducting **GNM and B.Sc(N)** Course is hereby withdrawn from the academic session 2018-19 in terms of Section 14 (3) b of the Act 1947. It is declared that from 2018-19, any person obtaining any recognised qualification from Maa Kaila Devi Institute shall be entitled to be registered only in the state of Madhya Pradesh subject to orders of the state government of Madhya Pradesh.

Lt. Col (Dr.) SARVJEET KAUR, Secy.

[ADVT.-III/4/Ext./339/2022-23]